

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक : 26 फरवरी, 2002

विषय : एयरफोर्स, एयरफील्ड तथा उसके इन्स्ट्रालेशन के चतुर्दिक वाह्य सीमा से 900 मी0 की दूरी तक किसी प्रकार के निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0-एयर हेडक्वार्टर/36051/आर0ईएसटीडी/पीओएल/डब्लूपीफोरसी(1)99/एफ/01/डी(एयर-11), दिनांक 31 दिसम्बर, 2001 की प्रति संलग्नकों सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दु-4 (स्थल-ए) का तत्काल अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें। एतदर्थ एयरफोर्स स्टेशनों एवं इकाइयों द्वारा गठित की जाने वाली समिति में अपने सदस्य नामित करते हुए उक्त के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

जावेद एहतेशाम
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्र दिनांक 01 दिसम्बर, 2001 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

जावेद एहतेशाम
उप सचिव।